Aadhar Housing Finance Ltd.

Corporate Office: Unit No. 802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V.Road, Andheri (East), Mumbai – 400069

Jhansi Branch : House No.202,2nd floor, Ward No.42, Civil Lines, Allahabad Bank Crosssing, Jhansi-284001, (Uttar Pradesh)

DEMAND NOTICE

UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH RULE 3 (1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.

The undersigned is the Authorised Officer of Aadhar Housing Finance Ltd.(AHFL) under Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorised Officer has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the following Borrower(s) (the "said Borrower(s)"), to repay the amounts mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them that are also given below. In connection with above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower(s)to pay to AHFL, within 60 days from the publication of this Notice, the amounts indicated herein below, together with further interest as detailed in the said Demand Notice(s), from the date(s) mentioned below till the date of payment and/or realization, payable under the loan agreement read with other documents/writings, if any, executed by the said Borrower(s). As security for due repayment of the loan, the following assets have been mortgaged to AHFL by the said Borrower(s) respectively.

S. No.	Name of the Borrower / Co-Borrower & Guarantor	Demand Notice Date & Amount	Description of secured assets (immovable property)
1	Loan Code No. 02400000716/Jhansi Branch) Late. Jagdish (Represented Through The Legal Heir)(Borrower), Grees & Sani (Co-Borrower),	11-01-2023 ₹ 1,17,571/-	All that piece and parcel of property bearing, House No 137 Bakra Mandi Ke Pass Mohalla Orchna Gate Bahar Jhansi, Uttar Pradesh, 284002

If the said Borrowers shall fail to make payment to AHFL as aforesaid, AHFL shall proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the Act and the applicable Rules, entirely at the risks of the said Borrowers as to the costs and consequences. The said Borrowers are prohibited under the Act from transferring the aforesaid assets, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of AHFL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the said Act or Rules made there under, shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.

Place : Jhansi **Sd/- Authorised Officer**
Date : 13/01/2023 **For : Aadhar Housing Finance Limited**

INTEC CAPITAL LIMITED

Publication Demand Notice

Notice under Sec.13 (2) of the securitisation and reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002

Demand Notice dated 29.10.2022 Sent on 31.10.2022 by Speed Post:-

1. **VIKRAM ADITYA HOTELS PVT. LTD. (BORROWER) Through its Director(s)** 81/1/1 Vikram Aditya Hotels Hari Fatak Ring Road Nanakheda, Ujjain MP- 456001
2. **DINESH KUMAR RATHORE (DIRECTOR/GUARANTOR)** 153, Mahashweta Nagar, Ujjain, M.P. - 456001
3. **GHANSHYAM RATHORE (DIRECTOR/GUARANTOR)** A-24/6 Basant Vihar Colony, Indore Road, Ujjain, M.P.- 456001
4. **KANCHAN RATHORE (DIRECTOR)** 81/1/1 Vikram Aditya Hotels Hari Fatak Ring Road Nanakheda, Ujjain MP- 456001
5. **HEMRAJ RATHORE (DIRECTOR)** 81/1/1 Vikram Aditya Hotels Hari Fatak Ring Road Nanakheda, Ujjain MP- 456001

SUBJECT: Loan Agreement No. **LNIND01914-150004119** dated 30.06.2014. You, committed default in repayment of loans and as such your Loan Account maintained with Intec Capital Limited was declared Non-Performing Asset (NPA) on w.e.f. **31.12.2021** and a sum of **Rs.18,75,549/- (Rupees Eighteen Lakh Seventy Five Thousand Five Hundred Forty Nine Only)** is outstanding as on **25.10.2022.**

The Intec Capital Limited issued demand notice dated **29.10.2022** sent on 31.10.2022 under the Act on calling upon you to repay the outstanding amount of **Rs.18,75,549/- (Rupees Eighteen Lakh Seventy Five Thousand Five Hundred Forty Nine Only).**The said notices were returned back unserved with the remark ***"Address Deceased/Addressee Left without Instructions".*** Hence the said notice is being published.

You are called upon to pay **Rs.18,75,549/-(Rupees Eighteen Lakh Seventy Five Thousand Five Hundred Forty Nine Only)** within 60 days from the date of this notice failing which Intec Capital Limited will be constrained to exercise its rights of enforcement of security Interest as against the Secured Assets given in the Schedule hereunder. This notice is without prejudice to any other right remedy available to the Intec Capital Limited.

SCHEDULE - I

LIST OF HYPOTHECATED ASSETS

S.No.	DETAILS OF MACHINERY	QUANTITY
1.	125 KVA THREE PHASE 415 V SILENT DG SET COMPRISING CUMMINS ENGINE MODEL 6 BTAA5. 9G3 DEVELOPING 154 BHP AT 1500 RPM DULY COUPLED TO STAMFORD MAKE 125 KVA, ALTERNATOR ON MS CHANNEL BASE FRAME INCLUDING, FUEL TANK, STD, CONTROL PANEL, BATTERY WITH LEADS, AUM PADS	1

Installed At :- 81/1/1, Vikram Aditya Hotels Hari Fatak Ring Road Nanakheda, Ujjain MP-456001

Date : 13.01.2023 **Authorized Officer**
Place: Ujjain MP **INTEC CAPITAL LTD**

Aadhar Housing Finance Ltd.

Corporate Office: Unit No. 802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V. Road, Andheri (East), Mumbai - 400069

Shivpuri : 1st Floor, Ward No 1, (Old Ward No-13, Survey No-162,/1 Taluka No 1, Gwalior Bypass Road, Ab Road, Shivpuri-473551,(MP).

DEMAND NOTICE

UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH RULE 3 (1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.

The undersigned is the Authorised Officer of Aadhar Housing Finance Ltd.(AHFL) under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorised Officer has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the following Borrower(s) (the "said Borrower(s)"), to repay the amounts mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them that are also given below. In connection with above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower(s)to pay to AHFL, within 60 days from the publication of this Notice, the amounts indicated herein below, together with further interest as detailed in the said Demand Notice(s), from the date(s) mentioned below till the date of payment and/or realization, payable under the loan agreement read with other documents/writings, if any, executed by the said Borrower(s). As security for due repayment of the loan, the following assets have been mortgaged to AHFL by the said Borrower(s) respectively.

S. No.	Name of the Borrower / Co-Borrower & Guarantor	Demand Notice Date & Amount	Description of secured assets (immovable property)
1	(Loan Code No. 10900000659/ Shivpuri Branch) Narendra Singh Chouhan (Borrower), Vavli Chouhan (Co-Borrower)	11-01-2023 ₹ 1,33,728/-	All that part & parcel of property bearing, Ward No 01 Part of Survey No 585 1 Behind of Police Station, Gram Khaniyadhana, Shivpuri, Madhya Pradesh , 473990

If the said Borrowers shall fail to make payment to AHFL as aforesaid, AHFL shall proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the Act and the applicable Rules, entirely at the risks of the said Borrowers as to the costs and consequences. The said Borrowers are prohibited under the Act from transferring the aforesaid assets, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of AHFL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the said Act or Rules made there under, shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.

Place : Shivpuri **Sd/- Authorised Officer**
Date : 13.01.2023 **For : Aadhar Housing Finance Limited**

MUTHOOT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED

Registered Office: TC NO.14/2074-7, Muthoot Centre, Punnen Road, Thiruvananthapuram - 695 034, CIN NO – U65922KL2010PLC025624. Corporate Office: 12/A 01, 13th floor, Parinee Crescenzo, Plot No. C38 & C39, Bandra Kurla Complex-G block (East), Mumbai-400051 TEL. NO: 022-62728517, Authorised Officer Email ID: authorised.officer@muthoot.com, Contact Person: - Ankit Goel - 7008254155, Ankit Gupta - 8359985783

PUBLIC NOTICE – AUCTION CUM SALE OF PROPERTY

Sale Of Immovable Assets Under Securitization And Reconstruction Of Financial Assets & Enforcement Of Security Interest Act, 2002

In exercise of powers contained in the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, the Authorized Officer of the Muthoot Housing Finance Company Ltd., (hereinafter referred to as the "Company") has taken the possession of under mentioned properties (hereinafter referred to as "Secured Asset") and held as security in respect of HOUSING Loan facilities granted to below mentioned customers (hereinafter referred to as "Borrowers") and further It has been decided to sell the Secured Asset on "as is where is", "as is what is", "whatever there is" and "no recourse" basis/conditions by inviting sealed tenders from public in respect of the secured debt amounting to amount in below with further interest and expenses thereon till final payment of the overdue from Borrowers.

Sr. No.	Name of Borrower/s & LAN	Description of property	Possession Type & Date	Total O/s Amount (Rs.) Future Interest Applicable	Reserve Price (Rs.)	E.M.D. (Rs.)
1	LAN No.: 18101105572 Sunil Thakur Pushpendra Thakur Shanti Devi Abhishek Malviya	All That Part And Parcel Of The Property Consisting Of Residential House On Plot No 965 And 966, Khasra No - 44, 45 And 47, Shiv Nagar Colony, Village Bhanpur, Phase -3, Ward No 73, Tehsil - Huzur, Dist - Bhopal, Madhya Pradesh. East: Other Property, West: Colony Road, North: Part Of Plot No 966, South: Part Of Plot No 965	Physical Possession - 15-November-2022	15,09,900/- as on 12-January-2023	12,00,000/-	1,20,000/-

Inspection Date & Time : 19-January-2023 & 20-January-2023 at 10.00 AM to 05.00 PM
Auction Date: 31-January-2023 10.00 AM to 03.00 PM & Last date for Submission of Bid: 30-January-2023
Place of Sale Bhopal Branch: Plot No. 61, Zone Ii, M P Nagar, Behind Axis Bank Loan Centre, Bhopal - 462011

Intending bidders may inspect the properties on the date and time as mentioned above. Terms & Conditions of public auction:-

1) Sale is strictly subject to the terms and conditions mentioned hereunder as per extant guidelines under SARFAESI Act, 2002 & also the terms and condition mentioned in the offer/ tender document to be submitted by the intending bidders 2) The property will be sold on "As is where is" and "As is what is" "whatever there is" and "no recourse" condition, including encumbrances, if any. 3) The properties under auction can be inspected on the date & time specified above. For any queries with regards to inspection of properties or submission of tenders, kindly establish contact to The Authorised Officers at respective locations on above mention contact numbers.The interested buyers may send theirs offers for the above property in a sealed cover along with Demand Draft Payable at Mumbai favoring "Muthoot Housing Finance Company Limited", towards earnest money deposit (EMD) 10% of Reserve Price. 4) Along with offer documents, the intending bidder shall also attach a copy of the PAN card issued by the Income Tax department AND bidder's identity proof and the proof of residence such as copy of the Passport, Election Commission Card, Ration Card, Driving license etc. 5) In no eventuality the property would be sold below the reserve price. 6) The bidders present in the auction would be allowed to increase their offer multiples of Rs.10000/- in addition to Reserve Price fixed. 7) All dues and outgoings, i.e., Municipal Taxes, Maintenance / Society Charges, Electricity and water taxes or any other dues including Stamp Duty, Registration Charges, Transfer Charges and any other expenses and charges in respect of the registration of the Sale Certificate in respect of the said properties shall be paid by the successful bidder/purchaser. 8) The successful bidder/purchaser shall have to pay 25% of the final bid amount (after adjusting 10% of the E.M.D. already paid) within next working days from the acceptance of the offer by the Authorized Officer in respect of the sale, failing which, the earnest money deposit will be forfeited. 9) The balance 75% of the Sale price shall have to be paid within 15 days of conveying the confirmation of the sale to the successful Purchaser by the Authorized Officer or such extended period as agreed upon in writing by and solely at the discretion of the Authorized officer. 10) The Authorized officer reserves his right to vary any of the terms and condition of this notice for sale, without prior notice, at his discretion. 11) In case, all the dues together with all cost, charges and expenses incurred by the Secured Creditor are tendered by the above name borrower / co-borrower till one working day prior to the date of Auction then the property will not be sold and all the bids received from the prospective bidders shall be returned to them without any liability / claim against M/s Muthoot Housing Finance Company Ltd. The borrower/guarantor/mortgage of are hereby given STATUTORY 15 DAYS NOTICE UNDER RULE 8(6) & 9 of The Security Interest (Enforcement) Rules of SARFAESI ACT to discharge the liability in full and pay the dues as mentioned above along with upto date interest and expenses within above mentioned days from the date of this notice failing which the Secured Asset will be sold as per the terms and conditions mentioned above. Borrower/s are also requested to remove their uncharged belongings from the property within 15 days' time else it will be removed from property on their risk and cost.

Place: Bhopal, Date: 13-January-2023 **Sd/- Authorised Officer, For Muthoot Housing Finance Company Limited**

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, जिला धार (म.प्र.)

क्र.30/R-1/2023 धार, दि. 10.01.2023

प्रकरण क्रमांक 237/2022-23/बी-121/(सिक्युरिटी)

स्टेट बैंक आफ इंडिया तर्फे प्राधिकृत अधिकारी
तर्फे प्राधिकृत अधिकारी शाखा वाय. एन. रोड़ इंदौर जिला-इंदौर ... आवेदक

विरुद्ध

मेसर्स तेजस्वनी डायग्रोस्टिक सेंटर
सी/ओ. संजीवनी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर
ग्राम अकोलिया, महू नीमच रोड़ पीथमपुर जिला धार ... अनावेदकगण

॥ सूचना पत्र ॥

(प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुर्नगठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत वसूली)

प्रति,
(1) मेसर्स तेजस्वनी डायग्रोस्टिक सेंटर
सी/ओ. संजीवनी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर
सर्वे नंबर 55/1/1, 55/1/2 ग्राम अकोलिया
महू नीमच रोड पीथमपुर जिला-धार
(2) मनीष अग्रवाल पिता ओमप्रकाश अग्रवाल
(3) श्रीमती वनिता अग्रवाल पति मनीष अग्रवाल
निवासी- 1, नंबर 93, श्री शांकांबरी धाम
सेमेन्टरी रोड एलआयसी ऑफिस महू जिला इंदौर
निवासी-2, सी/ओ. संजीवनी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर सर्वे नंबर 55/1/1, 55/1/2
ग्राम अकोलिया महू नीमच रोड पीथमपुर जिला धार

एतद् सूचना पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आवेदक बैंक ने आपके विरुद्ध ऋण नहीं चुकाने के कारण वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रतिभूति के रूप में अनुसूची अनुसार रखी गई निम्नानुसार सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया गया है :-

अनु.क्र.	सम्पत्ति का विवरण	स्वीकृत ऋण राशि	कुल बकाया राशि
1.	(1) मेसर्स तेजस्वनी डायग्रोस्टिक सेंटर सी/ओ. संजीवनी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर सर्वे नंबर 55/1/1, 55/1/2 ग्राम अकोलिया महू नीमच रोड पीथमपुर जिला धार पर उल्लेखित दृष्टि बंधक मशीनरीज संजीवनी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर में स्थापित है	2,00,00,000/-	2,14,06,628.08/- (ब्याज एवं खर्चे अतिरिक्त)

उक्त प्रकरण की सुनवाई मेरे न्यायालय में पेशी दिनांक 16.01.23 को प्रातः 11-00 बजे स्थान धार पर की जावेगी। अतः अनिवार्य रुप से आप स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करें एवं प्रकरण में पक्ष-समर्थन करें। अनुपस्थिति की दशा में एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रस्तावित कार्यवाही की जावेगी।

पेशी दिनांक 16.01.2023 **जिला दण्डाधिकारी जिला धार (म.प्र.)**

CENTRUM Home Loans — Aao milkar ghar banaye

Corporate & Registered Office : Unit No. 801, Centrum House, CST Road, Vidyanagri Marg, Kalina Santacruz (East), Mumbai - 400098, CIN No. U65922MH2016PLC273826

DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

The undersigned is the Authorised Officer of **Centrum Housing Finance Ltd** under Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act). In exercise of powers conferred under Section 13(2) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorised Officer has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the following Borrower/s (the "said Borrower"), to repay the amounts mentioned in the respective Demand Notice/s issued to them that are also given below.

In connection with above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower to pay to **Centrum Housing Finance Ltd**, within 60 days from the publication of this Notice, the amounts indicated herein below, together with further interest and other charges till date of repayment of the dues in full. as detailed in the said Demand Notices, from the dates mentioned below till the date of payment and/or realization, payable under the loan agreement read with other documents/writings, if any, executed by the said Borrowers. As security for due repayment of the loan, the following assets have been mortgaged to **Centrum Housing Finance Ltd** by the said Borrowers respectively.

Sr. No.	Name of the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s) / Loan Account No./ Branch	Total Outstanding Dues (Rs.)	NPA Date / Sec. 13(2) Notice Date / FCL Date	Description of secured asset (immovable property)
1	**Shashi Kumar/ Vimla Sharma/ JLRJL18002666/ Jabalpur**	**Rs. 1235829/-** (Rupees Twelve Lakh Thirty Five Thousand Eight Hundred Twenty Nine Only)	09-12-2022 / 10-01-2023 / 16-01-2023	Plot No.32, , Mouja Purva, Adm. 1000 Sq. Ft., N.B. No.162, PH.No. 32 Old, New 33, KH.No. 67/2, Maharana Pratap Ward, Tesh. Dist Jabalpur, RNM Jabalpur-1, Jabalpur-482001, Madhya Pradesh. Boundaries:- **East** : Plot No-31, **West** : Plot No-33, **North** : 20 Feet side road, **South** : Plot No-29
2	**Khaleel Ahmad/ Parveen Bi/ JLRJL18002551/ Jabalpur**	**Rs. 1422082/-** (Rupees Fourteen Lakh Twenty Two Thousand Eighty Two Only)	09-12-2022 / 10-01-2023 / 16-01-2023	Mouja Baitla N.B 52, Adm. 1000 Sq. Ft., PH No 22/1, KH. No.189/1, Neta Colony, Shubash Ward, Tesh.and Distt. Jabalpur, RNM Jabalpur-1, Jabalpur-482001, Madhya Pradesh. Boundaries:- **East** : Mohd. Iqbal Prop., **West** : Mohd. Iqbal Prop., **North** : 20 Feet Wide Side Road, **South** : Faizan Qureshi Prop.

If the said Borrowers shall fail to make payment to **Centrum Housing Finance Ltd** as aforesaid, **Centrum Housing Finance Ltd** shall proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the Act and the applicable Rules, entirely at the risks of the said Borrowers as to the costs and consequences.

The said Borrowers are prohibited under the Act from transferring the aforesaid assets, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of **Centrum Housing Finance Ltd**. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the said Act or Rules made thereunder, shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.

Place : Madhya Pradesh **Sd/-**
Date : 13-01-2023 **Authorised Officer**
For Centrum Housing Finance Ltd

CENTRUM Home Loans — Aao milkar ghar banaye

Corporate & Registered Office : Unit No. 801, Centrum House, CST Road, Vidyanagri Marg, Kalina Santacruz (East), Mumbai - 400098, CIN No. U65922MH2016PLC273826
Branch Office : 3rd Floor Prime House Opp Sayaji Hotel Vijay Nagar Indore – 452010, Madhya Pradesh.
Branch Office : 11/A Madilya Complex, Near SBI Azad Path, Vidisha-464001, Madhya Pradesh.

APPENDIX-IV-A
[See proviso to rule 8(6)]

PUBLIC NOTICE FOR AUCTION CUM SALE

Pursuant to taking possession of the secured asset mentioned hereunder by the Authorized Officer of **Centrum Housing Finance Limited.** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 for the recovery of amount due from borrower/s, offers are invited by the undersigned in sealed covers for purchase of immovable property, as described hereunder, which is in the physical possession, on **'As Is Where Is Basis', 'As Is What Is Basis', Particulars of which are given below:-**

Sr. No.	Borrower(s)/Co-Borrower(s)/ Guarantor(s) / Loan Account No/ Branch	Total Outstanding as on date	Description of the Immovable property	Reserve Price (RP)	Earnest Money Deposit (EMD) 10%
1	**Ankit Khandelwal / Jyoti Khandelwal / Gopal Das Khandelwal / Seema Khandelwal/ IDRID20004611 / Indore**	**Rs. 24,29,377/-** (Rupees Twenty-Four Lac Twenty-Nine Thousand Three Hundred Seventy-Seven Only) as on **12-01-2022**	In The Rights, Piece and Parcel of Immovable Property Bearing Plot No. 443, Panchawati Colony, Village-Talawali Chanda, Indore-452010, Madhya Pradesh. Bounded as Below: - **East** - 6 Meter Road, **West** - Plot No 456, **North** - Plot No 444, **South** - Plot No 442	**Rs. 42,00,000/- (Rupees Forty-Two Lac Only)**	**Rs. 4,20,000/- (Rupees Four Lac Twenty Thousand Only)**
1	**Devendra Singh Lodhi/ Deepa Lodhi/ Mohan Singh / BHOVD19004348 / I Vidisha**	**Rs. 15,88,109 /-** (Rupees Fifteen Lac Eighty-Eight Thousand One Hundred Nine Only) as on **31-10-2021**	In The Rights, Piece and Parcel of Immovable Property Bearing Duplex House No.300, Aargee Kramank 396/2, P.H.No.41, Village Hathoda The Basoda District- Vidhisha, Vidisha - 464221, Madhya Pradesh. Bounded as Below- **East:** - Plot No 108, **West:** - Gali 20 Feet, **North:-** Duplex No.299, **South:-** Duplex No. 301	**Rs. 17,60,000/- (Rupees Seventeen Lac Sixty Thousand Only)**	**Rs. 1,76,000/- (Rupees One Lac Seventy Six Thousand Only)**

1. The Auction is being held on **"AS IS WHERE IS" AND "AS IS WHAT IS" basis**
2. **The detailed terms and conditions of the auction sale are incorporated in the prescribed tender form, available at the above mentioned** Branch office
3. Last Date of Submission of Sealed Bid/Offer in the prescribed tender forms along with EMD payable by way of Demand Draft in Favor of **'Centrum Housing Finance Limited'**. along with KYC is on **14-02-2023 from 10.00 AM to 5.00 PM** at the Branch Office address mentioned herein above. Tenders that are not filled up completely or tenders received beyond last date will be considered as invalid tender and shall accordingly be rejected. No interest shall be paid on the EMD.
4. Date of Inspection of the Immovable Property is on **13-02-2023 from 11.00 AM To 2.00 PM**
5. Date of Opening of the Bid/Offer Auction Date for Property is **15-02-2023** at the above mentioned Branch Office address at **11:00 AM. to 2:00 PM** by the Authorised Officer.
6. The purchaser shall bear the applicable stamp duties/additional stamp duty/transfer charges, fee etc. and also all the statutory dues, taxes, rates assessment, Govt & Semi Govt. taxes, TDS and other charges, fees etc. in respect of the auctioned property. The possession of the Mortgage Property mentioned above is with the CHFL, who will hand over peaceful possession to the successful bidder on compliance of above. The intending bidder should make their own independent inquiries regarding the Encumbrances Title of property & also inspect & satisfy themselves.
7. All other expenses for getting the properties transferred on their name and statutory dues, if any shall be borne by the successful purchaser.
8. The Highest bidder shall be subject to approval of **Centrum Housing Finance Limited**. Authorised Officer shall Reserve the right to accept all any of the offer /Bid so received without assign any reason whatsoever. His decision shall be final and binding.
9. The Borrower(s)/Guarantor(s) are hereby given 30 DAYS SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT, 2002 to pay the sum mentioned as above before the date of Auction failing which the immovable property will be auctioned and balance, if any, will be recovered with interest and costs. If the Borrower pays the amount due to **Centrum Housing Finance Limited**, in full, before the date of sale, auction is liable to be set aside.

For further details, contact the Authorised Officer, at the above mentioned Office address Contact Person - **Mr. Ajay Dubey - 9598049233**

Place: Madhya Pradesh **Sd/-**
Date: 13.01.2023 **Authorized Officer,**
Centrum Housing Finance Limited

खबरों में रहे स्टॉक

रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

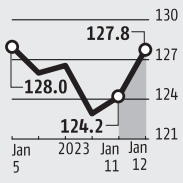

एनएमडीसी और पुदुचेरी सरकार से 293 करोड़ की दो परियोजनाएं मिली

₹ 1,24.2 पिछला बंद भाव
₹ 1,27.8 आज का बंद भाव
2.9 % ▲

ईकेआई एनर्जी सर्विस

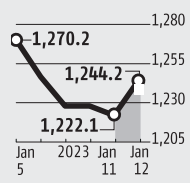

कार्बन तटस्थता पर परामर्श देने के लिए नार्वे की डीएनवी सप्लाई चेन से अनुबंध मिला

₹ 1,222.1 पिछला बंद भाव
₹ 1,244.2 आज का बंद भाव
1.8 % ▲

सायंट

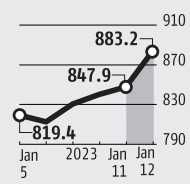

तीसरी तिमाही 156 करोड़ रुपये का लाभ, तिमाही आधार पर 97 फीसदी बढ़ा

₹ 847.9 पिछला बंद भाव
₹ 883.2 आज का बंद भाव
4.2% ▲

एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट

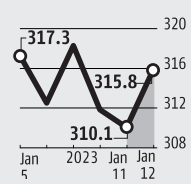

डीआरडीओ के लिए विशेष मोबाइल क्रेन (देसी) विकसित की

₹ 310.1 पिछला बंद भाव
₹ 315.8 आज का बंद भाव
1.9 % ▲

आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट

19 जनवरी को शेयर विभाजन और बोनस शेयर पर विचार करेगा निदेशक मंडल

₹ 1,760.3 पिछला बंद भाव
₹ 1,799.3 आज का बंद भाव
2.2 % ▲

संक्षेप में

एचसीएल टेक का शुद्ध लाभ 4,096 करोड़ रुपये

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी एचसीएल टेक का 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 19 प्रतिशत बढ़कर 4,096 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी ने 3,442 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। दिसंबर तिमाही में कंपनी की एकीकृत आय 19.56 प्रतिशत बढ़कर 26,700 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में आय 22,331 करोड़ रुपये थी। दिसंबर तिमाही के अंत तक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 2,22,270 थी। कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में 2,945 की बढ़ोतरी हुई है। *भाषा*

निवेशकों ने 2.3 लाख करोड़ रुपये निकाले

ब्याज दर बढ़ने और इक्विटी शेयर में बेहतर रिटर्न से बीते वर्ष म्युचुअल फंड की निश्चित आय वाली योजनाओं पर विपरीत असर पड़ा है और इस खंड से शुद्ध रूप से 2.3 लाख करोड़ रुपये निकाले गये हैं। हालांकि ब्याज दर में वृद्धि की गति धीमी पड़ने को देखते हुए इस साल स्थिति पलटने की संभावना है। म्युचुअल फंड कंपनियों के संगठन एसोसएिशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के आंकड़ों के अनुसार यह वर्ष 2021 में शुद्ध रूप से निकाले गये 34,545 करोड़ रुपये से यह कहीं अधिक है। मॉर्निंगस्टार इंडिया में वरिष्ठ विश्लेषक प्रबंधक (अनुसंधान) कविता कृष्णन ने कहा, 'बॉन्ड, प्रतिभूतियों में निवेश वाली म्युचुअल फंड की योजनाओं के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय है। ब्याज दर में वृद्धि की गति अब मंद पड़ रही है। *भाषा*

रिलायंस कैपिटल के कर्ज समाधान का मामला

दूसरे दौर की नीलामी पर रस्साकशी

देव चटर्जी
मुंबई, 12 जनवरी

राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) ने आज लेनदारों से कहा कि अगले हफ्ते उसका आदेश जारी होने तक नीलामी के दूसरे दौर पर वे कोई फैसला न लें।

अग्रिम नकदी के तौर पर 8,40 करोड़ रुपये की बोली लगाकर सर्वोच्च बोलीदाता के तौर पर टॉरंट के उभरने के बाद रिलायंस कैपिटल के लिए 19 जनवरी को दूसरे दौर की नीलामी की योजना बना रहे लेनदार दिवालिया कंपनी के लिए ज्यादा मूल्यांकन चाह रहे हैं। पहले दौर की नीलामी के बाद हिंदुजा ने हालांकि 9,000 करोड़ रुपये की पेशकश की थी, जिसके बाद टॉरंट इस मामले को लेकर एनसीएलटी पहुंच गई।

लेनदारों की समिति के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सबसे ऊंची बोली लगाने वाले समेत किसी भी समाधान आवेदक को चैलेंज मैकेनिज्म किसी तरह का अधिकार नहीं देता और सीओसी सबसे बड़ी समाधान योजना को मंजूरी देने के लिए बाध्य नहीं है।

टॉरंट मानकर चल रही है कि उसकी योजना सही है लेकिन सीओसी का निष्कर्ष है कि यह ठीक नहीं है। सीओसी ने टॉरंट की योजना में खामी पाई है और प्रशासक ने 4 जनवरी को टॉरंट को लिखा है कि समाधान प्रस्ताव के मसौदे में टॉरंट के वित्तीय प्रस्ताव का एनपीवी

चैलेंज मैकेनिज्म में उसकी तरफ से जमा कराई गई सर्वोच्च बोली से मेल नहीं खाता।

सिबल ने कहा, इसी वजह से सीओसी ने पाया है कि टॉरंट पहली नीलामी के तीसरे दौर की सीमा को भी पूरा नहीं करता। इसलिए वह तीसरे दौर के लिए गैर-अनुपालन वाली है और वह चौथे दौर में भागीदारी नहीं कर सकती थी। जब प्रशासक ने टॉरंट को लिखा तब उसने 6 जनवरी को नई बोली जमा कराई और पूरी बोली को बदल दिया। यह तथ्य परेशान करने वाला है कि उसने ये चीजें एनसीएलटी के सामने नहीं रखी।

सिब्बल ने कहा कि हिंदुजा समूह अब टॉरंट से 1,000 करोड़ रुपये ज्यादा पेशकश कर रहा है, ऐसे में एलआईसी व ईपीएफओ समेत लेनदारों को तब ज्यादा

टॉरंट मानकर चल रही है कि उसकी योजना सही है लेकिन सीओसी का निष्कर्ष है कि यह ठीक नहीं है।

रकम नहीं मिल पाएगी जब दिवालिया कंपनी को पहले दौर के सबसे ऊंचे बोलीदाता को सौंपा जाएगा।

टॉरंट के वकील डेरियस खंबाटा ने कहा कि सीओसी के निर्देश पर प्रशासक पहले ही 21 दिसंबर को लिखित तौर पर ऐलान कर चुका है कि चैलेंज मैकेनिज्म पूरा हो गया है और उसकी बोली सबसे ऊंची रही। टॉरंट ने यह भी तर्क दिया कि दूसरे दौर की नीलामी अवैध है और नियमों के तहत इसकी इजाजत नहीं है। साथ ही सीओसी व प्रशासक को पहले दौर पर आधारित अनुपालन वाली समाधान योजना पर मतदान की दरकार है। इस पर सीओसी असहमत है और मामले पर जवाब देने के लिए समय मांगा और इस पर अगली सुनवाई में विस्तार से दलील देगी।

एनसीएलटी ने सीओसी व प्रशासक के रुख को रिकॉर्ड कर लिया कि चैलेंज मैकेनिज्म का दूसरा दौर एनसीएलटी में अगली सुनवाई से पहले आयोजित नहीं किया जाएगा। एनसीएलटी ने यह भी कहा कि उसका अंतरिम आदेश अभी लागू रहेगा। रिलायंस को भारतीय रिजर्व बैंक ने दिवालिया संहिता के तहत कर्ज समाधान के लिए तब भेजा जब उसने 24,000 करोड़ रुपये के कर्ज भुगतान में चूक की।

मैरियन बायोटेक की 'घटिया' दवाओं पर डब्ल्यूएचओ का अलर्ट

सोहिनी दास
मुंबई, 12 जनवरी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने नोएडा की मैरियन बायोटेक के दो घटिया (दूषित) उत्पादों एम्ब्रोनोल साइरस और डीओके-1 मैक्स सिरप के खिलाफ अलर्ट जारी किया। इस क्रम में डब्ल्यूएचओ ने चिकित्सा उत्पाद चेतावनी (मेडिकल प्रोडक्ट एलर्ट) जारी की।

उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत को मैरियन बायोटेक की खांसी की दवाई को जोड़कर देखा गया था। इस घटनाक्रम के बाद भारतीय औषधि नियंत्रक भी उज्बेकिस्तान के औषधि नियंत्रक से निरंतर संपर्क में है। इस फैक्टरी में उत्पादन बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने कंपनी के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है।

डब्ल्यूएचओ ने अक्टूबर में हरियाणा की मेडेन फार्मा के खिलाफ चिकित्सा चेतावनी जारी की थी

उज्बेकिस्तान ने इन उत्पादों को चिह्नित किया था और डब्ल्यूएचओ को 22 दिसंबर, 2022 को सूचित किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बयान में बताया कि दो घटिया (दूषित) उत्पादों के खिलाफ चिकित्सा उत्पाद चेतावनी जारी की गई है। घटिया चिकित्सा उत्पाद उन उत्पादों को कहा जाता है जो गुणवत्ता के मानदंडों या विशेष विवरण के मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। लिहाजा उन्हें 'विशेष विवरण से बाहर' करार दिया गया है। हाल के महीनों में डब्ल्यूएचओ ने दूषित या घटिया औषधि के मामले में किसी भारतीय कंपनी के खिलाफ दूसरी चिकित्सा उत्पाद चेतावनी जारी की है। डब्ल्यूएचओ ने अक्टूबर में हरियाणा की मेडेन फार्मा के खिलाफ चिकित्सा चेतावनी जारी की थी।

डब्ल्यूएचओ ने कहा कि मैरियन बायोटेक ने उत्पाद की सुरक्षा व गुणवत्ता पर गारंटी मुहैया नहीं करवाई है। इस वैश्विक एजेंसी ने बताया, 'स्वास्थ्य मंत्रालय और उज्बेकिस्तान गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं ने इन उत्पादों के नमूने में अस्वीकार्य डायथिलीन ग्लाइकॉल और / या एथिलीन ग्लाइकॉल के मिलावट की पहचान की है।'

पीवीआर-आईनॉक्स के एकीकरण को मंजूरी

मल्टीप्लेक्स के संचालनकर्ताओं पीवीआर और आईनॉक्स को एकीकरण के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट की स्वीकृति मिल गई है। यह जानकारी दोनों कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंजों को गुरुवार को दी। इस स्वीकृति से भारत की सबसे बड़ी सिनेमा श्रृंखला का रास्ता साफ हो गया है। दोनों कंपनियों ने बयान में कहा, 'आदरणीय राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट, मुंबई बेंच ने 12 जनवरी, 2023 को आईनॉक्स लीजर और पीवीआर की एकीकरण की प्रस्तावित योजना को योजना दी।' इस मामले में विस्तृत आदेश लंबित है। एनसीएलटी के वकीलों ने कहा कि कुछ दिनों में विस्तृत आदेश प्राप्त होगा। इसके बाद कंपनियों के रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन किया जाएगा और इसकी जानकारी भी स्टॉक एक्सचेंजों को मुहैया करवाई जाएगी। *बीएस*

महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कब्जा सूचना

कॉर्पोरेट कार्यालय : महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड साधना हाउस, दूसरा तल, 570, पी.बी. मार्ग वर्ली, मुम्बई–400 018 इंडिया, फोन नं. + 91 22 66523500, फेक्स : +91 22 24972741
क्षेत्रीय कार्यालय पता: पहला तल, सिया हाईट्स, बागसेवनिया मार्केट के पास, राजा भोज कॉम्पलेक्स के पीछे, प्लाट नं.–11, तुलसी विहार कॉलोनी, बागमुगलिया, भोपाल–462043 (म.प्र.), फोन नं. : 0755–3065245
शाखा कार्यालय: 101/प्रथम तल, अलखनंदा टॉवर–2, इलाहाबाद बैंक के पास, क्षेत्रीय कार्यालय, पटेल नगर, सिटी सेंटर, ग्वालियर–474003, मध्यप्रदेश

(अचल सम्पत्तियों के लिए) (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8(1) के अन्तर्गत)

जैसा कि मैसर्स महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (तत्पश्चात् ''एमआरएचएफएल'' के रूप में संदर्भित किया जाता है), जिसका अपना पंजीकृत कार्यालय **भोपाल** में और शाखा कार्यालय **ग्वालियर** में है, के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर कर्जदारों (निम्न वर्णित नाम और पते) को उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना जारी की थी जिसमें उक्त मांग सूचनाओं में उल्लेखित राशि को सूचना की प्राप्ति के दिनांक 60 दिन के भीतर चुकता करने के लिए कहा गया था।

यहां उपरोक्त वर्णित कर्जदार द्वारा राशि अदा करने में विफल रहने पर कर्जदारों और सर्व सामान्य को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), 2002 की धारा 13 की उपधारा 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित सम्पत्तियों का **भौतिक कब्जा** प्राप्त कर लिया है।

यहां उपरोक्त वर्णित कर्जदार को विशेष रूप से और सर्व सामान्य को एतद द्वारा इस सम्पत्ति से कोई लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और सम्पत्ति के साथ कोई लेन–देने यहां उल्लेखित राशि और इस पर ब्याज के लिए मैसर्स महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13की उपधारा (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किया जाता है, ताकि प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों को भुनाया जा सके।

क्र. सं.	कर्जदार(ओं) /गारंटर(ओं) के नाम	प्रत्याभूत परिसम्पत्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	मांग सूचना की दिनांक और राशि	कब्जे की दिनांक
1.	(ऋण सं. : 754193 ग्वालियर शाखा) सुमन चंदेल (कर्जदार) सूरज चंदेल (सह–कर्जदार)	प्लॉट सं. 83, वार्ड सं.62, सर्वे सं. 1634 का भाग, ग्राम भादरोली, तहसील और जिला – ग्वालियर, मध्यप्रदेश , सीमांकन : पूर्व : प्लॉट सं. 82, पश्चिम : प्लॉट सं. 84, उत्तर : अन्य प्लॉट, दक्षिण : 25 फुट साझा सड़क	12.01.2021 रुपये 8,85,577/– (रुपये आठ लाख पचासी हजार पांच सौ तिहत्तर मात्र)	09.01.2023 भौतिक कब्जा

स्थान : ग्वालियर
दिनांक : 13/01/2023
प्राधिकृत अधिकारी
महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

IndusInd Bank

INDUSIND BANK LIMITED
1st Floor,Sangam Tower Churge Road, Jaipur- 302001

आम सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 (1) के तहत
वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली , 2002 के धारा 13 (2) के तहत के तहत मांग सूचना

निम्नलिखित अनुसार ऋणकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि चूंकि इंड्सइंड बैंक लिमिटेड (आई.बी.एल) से उनके द्वारा उठाए गए ऋण सुविधा को चुकाने में वे विफल रहे । उनके लोन क्रेडिट सुविधा को आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार बैंक के बुक में गैर निष्पादित संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है । इसके बाद बैंक ने बताए ऋणकर्ताओं को अंतिम ज्ञात पते पर वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली , 2002 के धारा 13 (2) के तहत (सफेंसी एक्ट) निम्नलिखित संबंधित ऋणकर्ता को मांग सूचना जारी किया है जिसमें उन्हें संबंधित सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर मांग सूचना में निर्दिष्ट राशि चुकाने के लिए उन्हें बुलाया गया है । मांग सूचना में बताए अनुसार निम्नलिखित राशि पर संविदा दर पर अग्रिम ब्याज आकस्मिक व्यय , शुल्क आदि के साथ नीचे दिए विवरण के अनुसार राशि जमा करने की सूचना दी गई है । बहरहाल प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (सफेंसी एक्ट) के नियम 3 के अनुसार प्रकाशन के माध्यम से हमारी ओर से यह सेवा की गई है ।

ऋणी एवं सहऋणी का नाम एवं पता	मांग सूचना की दिनांक एवं बकाया राशि	सुरक्षित/बंधक सम्पत्तियों का विवरण
1.एम.एस सुनील साड़ी स्टोर अपने भागीदारों के माध्यम से 2.श्री मेघराज पंजावानी 3.श्री वासुदे पंजावानी 4.श्री हेमराज पंजावानी 5.श्री घनश्यामदास पंजवानी 6.श्रीमती रजनी पंजवानी 7.श्रीमती पुष्पा पंजावानी 8.एम.एस हेमा साड़ी स्टोर 9.श्री संजय पंजावानी 10.श्री सुनील पंजावानी 11.श्री कपिल पंजावानी 12.श्री संजय पंजावानी 13. विकेश पंजवानी (12 और 13 की कानूनी उत्तराधिकारी की क्षमता में स्वर्गीय श्रीमती निर्मला पंजावानी)	मांग सूचना की दिनांक 22.12.2022 रू.71,66,740.12 (अक्षरे रुपये इक्हत्तर लाख छियासठ हजार सात सौ चालीस एवं बारह पैसे) दिनांक 16.12.2022तक एवं भविष्य के ब्याज एवं खर्चे अतिरिक्त एन.पी.ए. की दिनांक 05.11.2022 Loan Account No.III00646N	सम्पत्ति :1– सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते है जिसमे नगर पालिका हाउस नं. 50 (नया नंबर 24 और अब म्यूनिसिपल हाउस नंबर 25) लोधीपुरा नं. 2 इंदौर (मध्य प्रदेश) जिसका क्षेत्रफल 425 वर्गफीट है । सीमाए:–पूर्व: हेमराज और अन्य का घर पश्चिम: मांगीलाल का घर उत्तर: सड़क, दक्षिण: गली सम्पत्ति :2– सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते है जिसमे नगर पालिका हाउस नं. 51 (पुराना नंबर 24 और अब म्यूनिसिपल हाउस नंबर 30) लोधीपुरा नं. 2 इंदौर (मध्य प्रदेश) जिसका क्षेत्रफल 465 वर्गफीट है । सीमाए:–पूर्व: मकान संख्या का शेष भाग 30, पश्चिम: मांगीलाल का घर उत्तर: सड़क, दक्षिण: गली

एतद् द्वारा ऋणकर्ता को सूचित किया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर अग्रिम ब्याज उस पर लागत शुल्क खर्चे आदि सहित संबंधित जारी मांग सूचना में बताए बकाए राशि से अधिक जमा कराए , ऐसा नहीं करने पर बताए नियमावली की धारा 13 (4) के तहत उक्तप्रतिभूति संपत्ति / अचल संपत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने की हमें स्वतंत्रता होगी । इससे संबंधित लागू नियमों के अनुसार आपकी खुद की खर्चे व परिस्थिति पर बताए ऋणकर्ता / सहकर्ता / कानूनी उत्तराधिकारी / कानूनी प्रतिनिधि की जोखिम पर संपूर्ण प्रतिभूतित संपत्ति का कब्जा एवं बिक्री भी संभव है । सफेंसी एक्ट के धारा 13(13) के अनुसार कृपया ध्यान दें कि आप सभी को बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उक्तप्रतिभूतित संपत्ति की बिक्री , लीज या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण करने पर प्रतिबंध लगाया गया है । इससे संबंधित बताए । सैक्शन के उल्लंघन पर सर्फेसी एक्ट तथा या अन्य कोई कानूनी प्रावधान के धारा 29 के तहत दिए गए अनुसार कार्रवाई की जाएगी । एक्ट के धारा –13 के उप धारा (8) के अनुसार कृपया ध्यान दें कि बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व आईबीएल द्वारा निविदित राशि सभी खर्चे , शुल्कों एवं खर्चे के साथ यदि बकाए चुका दिए जाते हैं तो आईबीएल द्वारा प्रतिभूतित संपत्ति की न तो बिक्री की जाएगी और न ही हस्तांतरण साथ प्रतिभूतित परिसंपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण नहीं करने समेत आईबीएल कोई अगला कदम नहीं उठाएगा ।

हस्ता ./– वास्ते
दिनांक 13.01.2023. स्थान:– इंदौर (मध्य प्रदेश)
इंड्सइंड बैंक लिमिटेड अधिकृत अधिकारी

इनटेक कैपिटल लिमिटेड

मांग सूचना प्रकाशन
प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय सम्पत्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन सूचना
मांग सूचना दिनांकित 29.10.2022 को स्पीड स्पीड पोस्ट द्वारा 31.10.2022 को भेजी गई

1. विक्रम आदित्य होटल्स प्रा. लि. (कर्जदार) अपने निदेशकों के जरिए
81/1/1 विक्रम आदित्य होटल्स हरि फाटक रिंग रोड नानाखेड़ा, उज्जैन म.प्र.–456001
2. दिनेश कुमार राठौर (निदेशक/गारंटर)
153, महाश्वेता नगर, उज्जैन, म.प्र.–456001
3. घनश्याम राठौर (निदेशक/गारंटर)
ए–24/6 बसंत विहार कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन, म.प्र.–456001
4. कंचन राठौर (निदेशक)
81/1/1 विक्रम आदित्य होटल्स हरि फाटक रिंग रोड नानाखेड़ा, उज्जैन म.प्र.–456001
5. हेमराज राठौर (निदेशक)
81/1/1 विक्रम आदित्य होटल्स हरि फाटक रिंग रोड नानाखेड़ा, उज्जैन म.प्र.–456001

विषय: ऋण अनुबंध सं. **LNIND01914-150004119** दिनांक 30.06.2014; आप ऋण चुकता करने में विफल हो चुके हैं एवं फलस्वरूप, इनटेक कैपिटल लिमिटेड के साथ अनुरक्षित आपके ऋण खाते को **दिनांक 31.12.2021** से अनर्जक सम्पत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया था तथा **दिनांक 25.10.2022** को **रु. 18,75,549 (रुपये अट्ठारह लाख पचहत्तर हजार पांच सौ उनचास मात्र)** बकाया है।

इनटेक कैपिटल लिमिटेड ने अधिनियम के अधीन दिनांक **29.10.2022** को सूचना जारी की थी तथा उसे दिनांक 31.10.2022 को भेजा गया, जिसमें आपको बकाया रकम **रु. 18,75,549 (रुपये अट्ठारह लाख पचहत्तर हजार पांच सौ उनचास मात्र)** चुकता करने को कहा गया। संबंधित सूचनाएं बिना सेविंत **"प्रेषिती की मृत्यु हो चुकी है/प्रेषिती बिना किसी जानकारी के जा चुका है"** की टिप्पणी के साथ वापस आ गईं। अतएव संबंधित सूचना प्रकाशित की जा रही है।

आपको इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के अंदर **रु. 18,75,549 (रुपये अट्ठारह लाख पचहत्तर हजार पांच सौ उनचास मात्र)** की रकम चुकता करने को कहा गया है, अन्यथा इनटेक कैपिटल लिमिटेड यहां नीचे अनुसूची में उल्लेखित प्रत्याभूत सम्पत्तियों के खिलाफ अपने प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बाध्य होगी। यह सूचना इनटेक कैपिटल लिमिटेड के पास उपलब्ध प्रतिकार के अन्य किसी भी अधिकार के पूर्वाग्रह से बगैर है।

अनुसूची-I

हॉयपोथिकेटेड सम्पत्तियों की सूची		
क्र.सं.	मशीनरी का विवरण	मात्रा
1.	124 केवीए तीन फेज 415 वी साइलेंट डीजी सेट जिसमें कमिन्स इंजन मॉडल 6 बीटीएए5. 9जी3, 1500 आरपीएम पर डेवलपिंग 154 बीएचपी, स्टैमफोर्ड निर्मित 125 केवीए के साथ संबंधित, एमएस चैनल बेस फ्रेम पर अल्टरनेटर साथ में फुएल टैंक, एसटीडी, कंट्रोल पैनल, बैटरी के साथ लीड, एयूएम पैड्स समाविष्ट।	1

जहां स्थापित है: 81/1/1 विक्रम आदित्य होटल्स हरि फाटक रिंग रोड नानाखेड़ा, उज्जैन म.प्र.–456001
दिनांक : 13.01.2023
स्थान : उज्जैन म.प्र.
अधिकृत अधिकारी
इनटेक कैपिटल लिमिटेड

muthoot HOUSING FINANCE

मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : टीसी सं. 14/2074–7, मुथूट सेंटर, पुन्नेन रोड, तिरुवननपुरम–695 034
कॉर्पोरेट कार्यालय : 12/ए 01, 13वीं मंजिल, परिनी क्रेसेंजो, प्लॉट सं. सी38 एवं सी39, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स–जी ब्लॉक (पूर्व), मुम्बई–400051, दूरभाष : 022–62728517
अधिकृत प्राधिकारी का ई–मेल आईडी : authorised.officer@muthoot.com
सम्पर्क व्यक्ति : अंकित गोयल – 7008254155

सार्वजनिक सूचना : सम्पत्ति की नीलामी सह बिक्री

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में निहित शक्तियों के प्रयोग में मैसर्स मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लि. (इसके पश्चात ''कम्पनी'' सन्दर्भित) के अधिकृत प्राधिकारी ने निम्नलिखित सम्पत्तियों (इसके पश्चात ''प्रतिभूत आस्ति'' सन्दर्भित) पर कब्जा कर लिया है और निम्नलिखित ग्राहकों (इसके पश्चात ''कर्जदार'' सन्दर्भित) को स्वीकृत गृह ऋण के परिप्रेक्ष्य में प्रतिभूति के रूप में धारित की है तथा आगे इसे कर्जदारों से अधिकाय के अन्तिम भुगतान पर उस पर भावी ब्याज एवं व्ययों सहित नीचे वार्णित प्रतिभूत ऋण के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक मुहरबन्द निविदाएं आमन्त्रित करके ''जहाँ है जैसे है,'' ''जो है यहीं है'' ''जैसा है वैसा ही है'' तथा ''उपचार रहित'' आधार पर प्रतिभूत आस्ति की बिक्री करने का निर्णय लिया है।

क्र. सं.	कर्जदार/रों का नाम तथा लैन	सम्पत्ति का विवरण	कब्जे का प्रकार तथा तिथि	कुल बकाया राशि (रु.)	आरक्षित मूल्य (रु.)	ई.एम.डी. (रु.)
1.	लैन नं. 18101105572 सुनील ठाकुर पुष्पेन्द्र ठाकुर शान्ति देवी अभिषेक मालवीय	प्लॉट नंबर 965 और 966 पर आवासीय घर का सम्पूर्ण भाग, खसरा नंबर–44, 45 और 47, शिव नगर कॉलोनी, ग्राम भानपुर, फेज –3, वार्ड नंबर 73, तहसील – हुजूर, जिला – भोपाल, मध्य प्रदेश। पूर्व: अन्य संपत्ति, पश्चिम: कॉलोनी रोड, उत्तर: प्लॉट नंबर 966 का हिस्सा, दक्षिण: प्लॉट नंबर 965 का हिस्सा	भौतिक कब्जा 15 नवम्बर, 2022	23 नवम्बर, 2022 तक रु. 14,57,323/–	12,00,000/–	1,20,000/–

निरीक्षण की तिथि एवं समय : 19 जनवरी, 2023 तथा 20 जनवरी, 2023 को 10.00 बजे पूर्वा. से 05.00 बजे अप.
नीलामी तिथि : 31 जनवरी, 2023 को 10.00 बजे पूर्वा. से 03.00 बजे अप. तथा संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि : 30 जनवरी, 2023
बिक्री का स्थान भोपाल शाखा : प्लॉट नं. 61, जोन कक्ष एमपी नगर, एक्सिस बैंक लोन सेंटर के पीछे, भोपाल–462011

इच्छुक संविदाकार उपर्युक्त तिथि एवं समय पर सम्पत्तियों का निरीक्षण कर सकते हैं। सार्वजनिक नीलामी के नियम एवं शर्तें :
(1) बिक्री यहां नीचे उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के कठोर अनुपालन में सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत निर्देशों तथा इच्छुक संविदाकारों द्वारा जमा किये जाने वाले प्रस्ताव/निविदा दस्तावेज में उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार की जायेगी। (2) सम्पत्ति की बिक्री ''जहाँ है जैसे है'' तथा ''जो है यही है'' ''जो कुछ भी है वहीं है'' तथा ''उपचार रहित आधार'' पर ऋणभार, यदि कोई हो, सहित की जायेगी। (3) नीलामी के तहत सम्पत्तियों का निरीक्षण उपर्युक्त निर्दिष्ट तिथि एवं समय पर किया जा सकता है। सम्पत्तियों के निरीक्षण या निविदाएँ जमा करने से सम्बन्धित किसी पूछताछ के लिए कृपया अधिकृत प्राधिकारी से उपर्युक्त सम्पर्क नम्बरों पर सम्बन्धित स्थानों पर सम्पर्क करें। इच्छुक क्रेता आरक्षित मूल्य के 10% की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) के लिए ''मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड'' के पक्ष में मुम्बई में देय डिमांड ड्राफ्ट सहित मुहरबन्द लिफाफे में उपर्युक्त सम्पत्ति हेतु अपने प्रस्ताव भेजेंगे। (4) प्रस्ताव दस्तावेज के साथ इच्छुक संविदाकार आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की प्रति, संविदाकार का पहचान पत्र तथा आवास के प्रमाण की प्रति जैसे पासपोर्ट, चुनाव आयोग कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि भी संलग्न करेंगे। (5) किसी भी स्थिति में सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जायेगा। (6) नीलामी में उपस्थित संविदाकारों को निर्धारित आरक्षित मूल्य के अतिरिक्त अपनी संविदा रु. 10000/– के गुणक में बढ़ाने की अनुमति होगी। (7) सभी बकाये तथा व्यय जैसे निगम कर, रखरखाव/समिति प्रभार, बिजली तथा पानी के कर या स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार, अन्तरण प्रभार तथा कथित सम्पत्तियों के परिप्रेक्ष्य में विक्रय प्रमाणपत्र के पंजीकरण से सम्बन्धित अन्य व्यय एवं प्रभारों का भुगतान सफल संविदाकार/क्रेता द्वारा किया जायेगा। (8) सफल संविदाकार को क्रय राशि का 25% (पूर्वप्रदत्त ईएमडी को समायोजित करके) बिक्री के परिप्रेक्ष्य में अधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले कार्यकारी दिन भीतर जमा करना होगा, जिसमें असफल होने पर जमा की गयी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। (9) विक्रय मूल्य का शेष, 75% राशि अधिकृत प्राधिकारी द्वारा सफल क्रेता को बिक्री की पुष्टि की सूचना के 15 दिनों के भीतर या अधिकृत प्राधिकारी के एकमात्र विवेकानुसार तथा लिखित में यथासक्षम विस्तारित अवधि तक जमा करनी होगी। (10) अधिकृत प्राधिकारी अपने विवेकानुसार बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री की इस सूचना के किसी भी नियम एवं शर्तों को परिवर्तित करने का अधिकार रखते हैं। (11) यदि समस्त लागतों, प्रभारों तथा प्